


Subject: Regarding submission of annual property returns.

हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 में प्रावधान अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसी सेवा या पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद हर वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सरकार द्वारा निर्धारित फार्म में भरकर देगा। अतः इस प्रावधान के तहत हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को, जिनका संबंध स्थापना-1 व स्थापना-1A शाखा से है, निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपनी संपत्ति विवरणियां पूर्ण करके अविलम्ब कार्यालय में प्रस्तुत करें।



अधीक्षक, स्थापना-1A
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

पृष्ठांकन क0 17/2/2012-5स्था 11

दिनांक चण्डीगढ़ 17.5.2017

एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित है :

1. मुख्यमंत्री, हरियाणा/सभी मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/मुख्य संसदीय सचिवों/मुख्य सचिव, हरियाणा व अन्य सभी अधिकारियों के साथ कार्यरत विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजि सचिव/निजि सहायक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/आशुलिपिक।
2. हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्यरत सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/अधीक्षक/उप अधीक्षक/सहायक/लिपिक व अन्य सभी श्रेणी 11A कर्मचारी।



अधीक्षक, स्थापना-1A
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।